अनुदान संख्या 39 – पेंशन
GRANT No. 39–PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*12,74,00*	*14,73,59*	*+1,99,59*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4487,26,00	4487,27,00	4382,53,88	–104,73,12
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				100,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधि और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम के संवितरण के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, व्यय स्वीकृत *विनियोग* से *199.59 लाख* रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय *199,58,401* रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करवाया जाना अपेक्षित है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ/हुईः-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Schemes – Government Provident Fund and Central Government Employees Insurance Scheme.

2. In the *charged* portion of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned *appropriation* by *Rs.199.59 lakhs* (actual excess was *Rs.199,58,401*). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" *पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ*	Major Head "2071" *Pensions and Other Retirement Benefits*	*1266.00*	*1468.48*	*+202.48*

(I) शीर्ष *''सिविल''* के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) *''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन''*- *133.68 लाख* रु. का अधिक व्यय (*70.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) निधियों की प्रत्याशा से अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) *''उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकारों से वसूलीयोग्य पेंशन प्रभार''*- *180.68 लाख* रु. का अधिक व्यय (*220.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) *3.50 लाख* रु. का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत *139.62 लाख* रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में *50.00 लाख* रु. से अधिक और स्वीकृत *विनियोग* का 18 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थीं।

4. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under *"Civil"* – excess occurred under the following heads:-

(A) *"Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions"* – excess of *Rs.133.68 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.70.00 lakhs*) was due to more requirement of funds than anticipated.

(B) *"Pensionary Charges in respect of High Court Judges- Pensionary charges in respect of High Court Judges recoverable from State Governments"* – excess of *Rs.180.68 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.220.00 lakhs*) was due to receipt of more claims than anticipated.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) *Appropriation* of *Rs.3.50 lakhs* remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under two heads savings of *Rs.139.62 lakhs* occurred, each exceeding *Rs.50.00 lakhs* and constituting 18 percent and 26 percent of the sanctioned *appropriation.*

4. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2071'' पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	445375.00	435376.00	434715.58	–660.42
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–10000.00			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Head Major Head "2235" Social Security and Welfare	3351.00	3538.30	+187.30

(I) 30.60 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन''- 21328.31 लाख रु. की बचत (264129.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''भविष्य निधियों को अंशदान - साधारण पेंशन''- 994.55 लाख रु. की बचत (1997.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भविष्य निधियों को कम अंशदान किए जाने की वजह से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''छुट्टी नकदीकरण - साधारण पेंशन''- 10377.87 लाख रु. की बचत (37151.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1559.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2071" - ''सिविल - अधिशेष घोषित किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम से उद्भूत अनुग्रपूर्वक अदायगी - साधारण पेंशन'' के अंतर्गत दिसम्बर, 2003 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1747.82 लाख रु. था।

(I) Provision of Rs.30.60 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "2071" - "Civil" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – saving of Rs.21328.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.264129.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

(B) "Contributions to Provident Funds – Ordinary Pensions" – saving of Rs.994.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1997.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated owing to less contribution to Provident Funds.

(C) "Leave Encashment – Ordinary Pensions"– saving of Rs.10377.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37151.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

5.(I) The above savings were partly (Rs.1559.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriaiton as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2003 under Major Head "2071" – "Civil – Ex-gratia Payment arising out of Special Voluntary Retirement Schemes to Central Government Employees declared as Surplus – Ordinary Pensions". Actual excess, however, was Rs.1747.82 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः-

(का) मुख्य शीर्ष "2071"- "सिविल" के अंतर्गत -

(क) "पेंशनों का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन"- 3506.84 लाख रु. का अधिक व्यय (39700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "उपदान - साधारण पेंशन"- 4535.87 लाख रु. का अधिक व्यय (59650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन"- 12080.07 लाख रु. का अधिक व्यय (41960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(घ) "विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य"- 165.69 लाख रु. का अधिक व्यय (564.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2235'-"अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधियां सामान्य - सामान्य भविष्य निधि की संशोधित निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम" के अंतर्गत 242.06 लाख रु. का अधिक व्यय (3193.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याश से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) The savings were also offset by excess under the following heads:-

(A) Under Major Head "2071"–"Civil"–

(a) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – excess of Rs.3506.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.39700.00 lakhs);

(b) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of Rs.4535.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.59650.00 lakhs); and

(c) "Family Pensions – Family Pensions" – excess of Rs.12080.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41960.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more claims than anticipated.

(d) "Pensions to Legislators - Members of Parliament" – excess of Rs.165.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.564.00 lakhs) was due to requirement of more funds.

(B) Under Major Head "2235"–"Other Social Security and Welfare Programmes–Deposit Linked Insurance Scheme–Government Providend Funds–Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Providend Fund"–excess of Rs.242.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3193.00 lakhs) was due to receipt of more claims than anticipated.